FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा,राजस्थान

उगमा S/o गंगाराम बनाम जगदीश S/o किशन दरोगा

किस्म मुकदमा / धारा:– प्रार्थना-पत्र | 111-128

प्रकरण संख्या 128 / 2026 जी.सी.एम.एस. नम्बर:–

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7 05 2026	प्रार्थना–पत्र नियमानुसार संलग्न दस्तावेजों एवं न्यायालय शुल्क के साथ न्यायालय क्षेत्राधिकार में पेश हुआ। पत्रावली को नियमानुसार जांच कर दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में विपक्षीगणों की तलबी जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना–पत्र, विपक्षीगणों को भेजी जावें। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 12 / 05 /2026 को वास्ते इन्तजार तामील / तलबी रिपोर्ट पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा	
12/5/26	पत्रावली पेश हुई। समस्त विपक्षीगणो की बाद तामील प्राप्त हुई, जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया। समस्त विपक्षीगणों को 3-बार आवाज लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नही हुआ। समस्त विपक्षीगणो के विरुद्ध एक-पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली मे आदेश पारित किए गए। पत्रावली मे आदेश पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 128/2026 तारीख दायर - 7/5/2026

उगमा पुत्र गंगाराम दत्तक पुत्र घीसुलाल जाति माली उम्र वयस्क निवासी उन्द्रो का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0।

............प्रार्थी

बनाम्

1. जगदीश पिता किशन दरोगा जाति दरोगा उम्र वयस्क निवासी उन्द्रो का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
2. नन्दसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी उन्द्रो का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
3. तहसीलदार महोदय तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0

..........विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक - 12/5/2026

प्रार्थना पत्र उगमा ने जरिये अभिभाषक श्री **सुनिल बाकलीवाल एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम उन्द्रो का खेडा पटवार हल्का माल का खेडा तहसील बिजौलियां की सरहद में **खाता संख्या 2 पर अंकित आराजी संख्या 254 रकबा 0.2995 हे0, खाता संख्या 3 पर अंकित आराजी संख्या 255/2 रकबा 1.0846 हे0 भूमि** स्थित है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाकलां को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। पत्थरगढी कमिश्नर फीस नियमानुसार तय किये जाते हैं। प्रार्थी वक्त पत्थरगढी फीस अदा करेगा।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम उन्द्रो का खेडा पटवार हल्का माल का खेडा तहसील बिजौलियां की सरहद में **खाता संख्या 2 पर अंकित आराजी संख्या 254 रकबा 0.2995 हे0, खाता संख्या 3 पर अंकित आराजी संख्या 255/2 रकबा 1.0846 हे0 भूमि** की बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 128 / 2026 तारीख दायर – 7/5/26

प्रेषिति :–तहसीलदार बिजौलियाँ तारीख नियत – 12/5/26

विषय :– प्रकरण संख्या/28/26 पत्थरगढ़ी बाबत्।

उगमा पुत्र गंगाराम दत्तक पुत्र घीसुलाल जाति माली उम्र वयस्क निवासी उन्द्रो का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0।

............प्रार्थी

बनाम्

1. **जगदीश पिता किशन दरोगा जाति दरोगा उम्र वयस्क निवासी उन्द्रो का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0**
2. **नन्दसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी उन्द्रो का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा**
3. **तहसीलदार महोदय तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0**

..........विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मे आदेश होकर लेख है मौजा ग्राम उन्द्रो का खेडा पटवार हल्का माल का खेडा तहसील बिजौलियां की सरहद में **खाता संख्या 2 पर अंकित आराजी संख्या 254 रकबा 0.2995 हे0, खाता संख्या 3 पर अंकित आराजी संख्या 255/2 रकबा 1.0846 हे0 भूमि** की बशमलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाकलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस नियमानुसार वक्त पत्थरगढी प्रार्थी अदा करेगा। पत्थरगडी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडौसियान को सूचित करते हुये पत्थरगडी करें।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ